समाहरणालय, मुजफ्फरपुर

(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

–:आदेश :–

अल्पकालीन निविदा सूचना

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17 कम्प्यु (निविदा)–242/2013–1915 दिनांक 18.12.2014 में प्राप्त निदेशानुसार मुजफ्फरपुर जिला के अंचल कार्यालयों/राजस्व हल्का कार्यालयों में उपलब्ध सभी जमाबंदी पंजी एवं सर्वे खतियान की स्कैनिंग करने के निमित दर निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है :–

1. जमाबंदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान का स्कैनिंग कर चार–चार प्रतियाँ हार्ड कॉपी तैयार करना।
2. जिला के वेबसाईट पर दो आधार अभिलेख का ऑनलाईन करना।
3. प्रिंटिंग A4 साईज सेनचुरी पेपर में।
4. उपरोक्त कार्य कार्यादेश में निर्धारण समय सीमा के अन्दर करना होगा।

इच्छुक निविदा दाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में निम्नलिखित शर्तो के साथ दिनांक 25.11.2016 को 2:00 बजे अपराह्न तक जिला राजस्व प्रशाखा, मुजफ्फरपुर में दे सकते है।

सभी निविदा दिनांक 25.11.2016 को 4:00 बजे अपराहन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी हेतु जिला राजस्व प्रशाखा, मुजफ्फरपुर में किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यवंटन से पूर्व समिति द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा कर हस्ताक्षर करना होगा। कोई भी निविदा निर्धारित तिथि के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर (VAT) एवं आयकर में (PAN) निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। (VAT) एवं सेवाकार कटौती के उपरांत ही फार्म को राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 100000.00 रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट मूल में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से संलग्न करना होगा।
3. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फार्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव/कार्यदेश की प्रति संलग्न किया जाय। निविदादाता को निविदा के साथ उनका प्रतिस्थापन काली सूची में दर्ज नहीं है से संबंधित शपथ–पत्र देना आवश्यक होगा।
4. निविदादाता को शपथ–पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी ऑपरेटिंग सिस्टम Licensed/Legal authorized है।
5. निविदादाता को Book Scanner with a speed of 10 PPM का उपयोग कर स्कैनिंग कार्य करना होगा।
6. निविदादाता को तकनीकी क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध साधनों Pool Sources का विवरण यथा– कम्प्यूटर सेट, यू.पी.एस, डिजीटल प्रिंटर, स्कैनर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, स्टाफ की संख्या जेनरेटर प्रतिदिन, स्कैनिंग करने की क्षमता तथा प्रतिदिन प्रिंट ऑउट निकालने की क्षमता सही–सही अंकित करना होगा तथा प्रतिदिन स्कैनिंग की गई दस्तावेज का ऑन लाईन करने की जवाबदेही आपकी होगी।

7. निविदादाता को लेजर प्रिंटर हेतु Original Tonner का ही उपयोग करना होगा तथा A4 साईज सेन्चुरी पेपर का ही प्रयोग करना होगा।

8. चयनित निविदादाता को जमाबंदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान का स्कैनिंग कार्य समाप्ति के पश्चात हार्ड कॉपी की चार–चार प्रति जिला राजस्व प्रशाखा को उपलब्ध कराना होगा।

9. निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000.00 (एक हजार) रूपये की कटौती विपत्र से की जाएगी। साथ अग्रधन की राशि जमा करते हुए फार्म को काली सूची में डाल दी जाएगी।

10. किसी भी परिस्थिति में सब कैन्ट्रेकटिंग स्वीकार नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए फार्म के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

11. स्कैनिंग कार्य–2 अनुमण्डल यथा पूर्वी/पश्चिमी में भूमि सुधार उप समाहत्ताओं के पर्यवेक्षणों में कार्य कराया जाएगा। निविदादाता को उक्त दोनों कार्यालयों में कार्य करना होगा। इसके लिए निविदा में स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगा।

12. आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा कार्य का स्थल परिवर्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के साथ मान्य होगा।

13. अस्थायी विद्युतीकरण जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्च पर करना होगा। इसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

14. समिति से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यो के लिए समय सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुसार कार्य सम्पन्न करना होगा।

15. संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की गई स्कैनिंग और उसके ऑन लाईन की सत्यता की जांच कर लेगें तथा कुल पृष्ठों की संख्या की गणना का प्रमाण पत्र संबंधित अंचलाधिकारी से प्राप्त करेंगे ताकि उसके आधार पर भुगतान हो सके। संबंधित एजेंसी का भी यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि यह कार्य संबंधित पदाधिकारी से करवा कर विपत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ख) वित्तीय शर्ते :–

1. स्कैनिंग एवं ऑन लाईन का प्रति पृष्ठ निविदा में जो न्यूनतम दर होगा उसी दर से भुगतान किया जाएगा।

2. प्रिंटिंग – A4 साईज सेन्चुरी पेपर का मुद्रण (कागज सहित)

(ग) सामान्य शर्ते :–

1. संदर्भित एवं समय सीमा की बाध्यता के मद्देनजर न्यूनतम दर पर कार्य का विवरण एक से अधिक निविदा दाताओं के बीच आबंटित किया जा सकता है।

2. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

3. किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जाएगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई सूद की राशि देय नहीं होगी।

4. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

(8.)

[illegible]